प्र.सं. 53/2021 धनराज बनाम सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट के पिता कन्ना द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भुवाणा में साबिक आराजी नंबर 1561/4 व 1745 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 3080 व 3081 कुल किता 2 रकबा 0.7400 हैक्टर हैं। साबिक रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का रूपान्तरित रकबा 0.8966 हैक्टर बनना चाहिए था, इस प्रकार हाल के मुकाबले 0.1566 हैक्टर कम दर्ज हुआ है जो हाल आराजी नंबर 3058 बिलानाम गैर काबिल का त में मिला दिया गया है, किन्तु उस पर वादी का कब्जा ही चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी को हाल आराजी नंबर 3058 के रकबा 0.1566 हैक्टर का खातेदार घोशित किया जावे एंव स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नगर विकास प्रन्यास के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व वादी को प्रतिवादी संख्या 2 को नगर सुधार अधिनियम की धारा 98 के तहत 2 माह में नोटिस दिया जाना आव यक था, जिसकी पालना वादी द्वारा नहीं की गयी है। अतः वादी का वाद मात्र इसी आधार पर निरस्त किया जावे। उक्त आवेदन का वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दि0 10.02.2021 से प्रतिवादी का आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.07.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अभिभाशक श्री विजय कुमार चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा [illegible] 5 [illegible]ा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का स्वास्थ्य [illegible] होने एव कोविड–19 के कारण लॉकडाउन होने से वह समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः मयाद कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में भापथ पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:58 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2012 को तनकियात कायम की गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है एवं आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के आधार पर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2012 को प्रकरण में 3 तनकियां कायम की गयी, किन्तु तनकियों पर किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 की साक्ष्य बन्द हो जाने के बाद उनकी ओर से आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 280/2019 निर्णय दिनांक 10.02.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम भ्ाुदा तनकियात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:58 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर